रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2010/ज्येष्ठ 26, 1932 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 67
No. 94] DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2010/JYAISTHA 26, 1932 [N.C.T.D. No. 67

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जून, 2010

सं. फा. अति. शि. नि. (स्कूल) 609-623.—जबकि, शिक्षा निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में 932 राजकीय विद्यालय हैं जिनमें 19 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय शामिल हैं।

और जबकि, वर्ष 1997 में यह महसूस किया गया कि सरकारी विद्यालयों में ऐसे अनेक विद्यार्थी होते हैं यदि उनको उचित वातावरण प्रदान किया जाये तो उनमें उत्कृष्ट प्रतिभा की संभावना होती है। यह भी महसूस किया गया कि अनेक कमजोर आर्थिक वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के पास प्रतिभा होती है परन्तु वे पब्लिक स्कूलों का खर्च वहन नहीं कर सकते। यह प्रस्ताव किया गया था कि उनकी प्रतिभा को सामने लाया जाये और उनकी उच्च शैक्षिक उत्कृष्टता की आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालय उपलब्ध करवाये जायें। तदनुसार प्रस्ताव किया गया था कि विशेष वर्ग के ऐसे राजकीय विद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी जाये जहां अध्ययन अध्यापन की बेहतर परिस्थितियाँ और बेहतर मौलिक सुविधाएं हों जिसकी अनुमति सरकार ने प्रदान की और इस प्रकार राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय अस्तित्व में आये।

और जबकि, बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को 1-4-2010 से लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया था। अधिनियम में 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों या उन ऐसे अन्य स्कूलों को समान है जिनका अपना विशिष्ट स्वरूप है और इसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (पी) के अन्तर्गत समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है।

और जबकि, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका/छावनी बोर्ड के पढ़ने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को उनकी उच्च प्रतिभा की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रवेश दिया जाता है। इनका चयन कक्षा-VI तथा उसके पश्चात् कक्षा-IX तथा कक्षा-XI के प्रवेश स्तर पर एक परीक्षा के द्वारा होता है जिसकी शर्त यह है कि संबंधित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में सीट उपलब्ध हो।

और जबकि, उपरोक्त उद्देश्यों एवं मिशन के अनुसार राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों का अपना विशिष्ट स्वरूप होता है।

इसलिए अब, बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खंड (पी) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों को केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों जैसे विद्यालयों की तरह विनिर्दिष्ट वर्ग विद्यालय घोषित करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 16th June, 2010

No. F. Addl. DE (Sch.) 609-623.—Whereas there are 932 Government Schools in Jurisdiction of Directorate of Education which include 19 Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas;

And whereas, in the year, 1997 it was realized that in Government Schools, there are many students who have potential to excel, given right environment. It was also realized that such students from low economic strata but having potential cannot afford to attend public schools. It was proposed to shape their excellence and provide a platform to cater to their higher needs of academic excellence. Accordingly, it was proposed to allow to establish pace setting Government Schools of special category having distinct character to provide better conditions of teaching learning environment and better infrastructure and the same, was approved by Government and thus, Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas came into existence.

And whereas, the right of children to free and compulsory education act, 2009 has been notified to take effect from 1-4-2010. The provisions of the Act are to provide for free and compulsory education to all children of the age of 6-14 years. The Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas, are the schools like Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, Sainik Schools or any other school having a distinct character which may be specified by notification by the appropriate Government under clause (p) of Section 2 of the aforesaid Act.

And whereas, students in Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas are admitted from amongst those studying in Government/Government Aided/MCD/NDMC/Cantonment Board schools, in order to cater to the needs of their higher potential. They are selected from the such students, after a test at the entry level of Class-VI and thereafter to Class-IX and XI subject to the condition of availability of seats in the respective Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas.

And whereas, the Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas, have a distinct character, in terms of the objectives and mission stated above.

Now, therefore, in pursuance of clause (p) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Lt. Governor, NCT of Delhi is pleased to declare Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas as Specified Category Schools like Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, Sainik Schools.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
SURESH GUPTA, Addl. Secy. (Education)

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 16 जून, 2010

सं. फा. 6/17/2008-न्यायिक/एसयूपीटी लॉ/644-645.—दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से अनुसूचित जाति श्रेणी के प्रत्याशी श्री निर्भय प्रकाश, जिनका नाम इस विभाग के दिनांक 3-7-2009 की अधिसूचना संख्या 6/17/2008-न्यायिक/एसयूपीटी लॉ/ 1202-1207 में क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित था, की नियुक्ति को, पर्याप्त समय दिये जाने के बाद उनके दिल्ली न्यायिक सेवा में कार्यभार संभालने में असफल रहने पर निरस्त करते हैं ।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 16th June, 2010

No. F. 6/17/2008-Judl./Suptlaw/644-645.— The Lt. Governor, Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to cancel the appointment of Mr. Nirbhay Prakash, SC Category candidate on account of his failure to join the Delhi Judicial Services, in spite of sufficient time being given, whose name appears at S.No.12 of this Department's Notification No. F. 6/17/2008-Judl./Suptlaw/1202-1207 dated 3-7-2009.